अध्याय–4

कोयला खनन नीति तथा प्रमुख पहलें

4.1 खान बंद करने के लिए दिशानिर्देश

खनिज क्षेत्रों को यथासंभव प्राथमिक स्तर पर पुरानी स्थिति में लाने के उद्देश्य से खान बंद करने की योजना तैयार करने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए कोयला खान स्वामियों द्वारा अपनाए जाने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इससे कोयला खनन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। ये दिशा निर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

4.2 कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2000 की स्थिति

इस मामले में संशोधन विधेयक पर आम सहमति बनने की प्रतीक्षा की जा रही है।

4.3 कोयला क्षेत्र के लिए विनियामक

मंत्रिमंडल द्वारा 10.05.2010 को हुई अपनी बैठक में एक कोयला विनियामक प्राधिकरण स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था जिसमें इस मामले को एक मंत्री समूह (जीओएम) को भेजने का निर्णय किया गया था। मामला जीओएम के विचाराधीन है।

4.4 कैप्टिव कोयला खनन ब्लाक

4.4.1 कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कोयला खनन अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। 1976 में इस अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा नीति में दो अपवाद शुरू किए गए अर्थात (i) लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में लगी निजी कंपनियों द्वारा कैप्टिव खनन और (ii) अलग–थलग पड़े छोटे पाकेटों में निजी पार्टियों को कोयला खनन के लिए उपपट्टा देना जो आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं है तथा जिसमें रेल परिवहन की आवश्यकता नहीं है।

4.4.2 कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को जून, 1993 से लोहा तथा इस्पात के उत्पादन के लिए कैप्टिव खनन के लिए मौजूदा प्रावधान के अलावा केप्टिव खपत के लिए विद्युत के उत्पादन, खान से प्राप्त कोयले की धुलाई एवं अन्त्य उपयोगों, जिन्हें समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, के लिए अनुमति देने हेतु संशोधित किया गया था। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की धारा 3(3)(क) (iii) के प्रावधानों के अनुसार लोहा तथा इस्पात का उत्पादन, विद्युत उत्पादन, सीमेंट के उत्पादन और कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतही) के माध्यम से प्राप्त सिन–गैस के उत्पादन तथा कोयला द्रवीकरण में लगी कंपनी भारत में केवल केप्टिव खपत के लिए कोयला खनन कर सकती है।

4.4.3 केन्द्र सरकार, सरकारी कंपनी (राज्य सरकार की कंपनी सहित), केन्द्र सरकार के स्वामित्व, प्रबंधित एवं नियंत्रित निगम ही कैप्टिव उपयोग के प्रतिबंध के बिना कोयला खनन कर सकते हैं।

4.4.4 अब तक 33 कोयला ब्लाकों (19 निजी तथा 14 सार्वजनिक) में उत्पादन आरंभ हुआ है। वर्ष 2011–12 के लिए इन कोयला ब्लाकों से उत्पादन 36.167 मि.ट. और वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक अनंतिम) के लिए 27.66 मि. ट. थी जैसा कि कोयला नियंत्रक के कार्यालय ने सूचित किया है। ब्यौरे दिये गए हैं:–

वर्ष 2006–07 से 2012–13 तक के दौरान केप्टिव ब्लाकों से कोयले का उत्पादन

क्र. सं.	कंपनी का नाम	बीएलके नाम	एमटीपीए में पीआरसी (एमपी के अनुसार)	सरकारी / पीएसयू बीएलके	निजी बीएलके	ईयूपी	उत्पादन मिलयन टन में							
							2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	(दिस. 2012) के लिए उत्पादन	2012–13 के लिए उत्पादन
1	डब्ल्यूबीएसईबी	तारा (ईस्ट)	2	2	0	विद्युत	4.765	4.229	4.134	3.303	2.876	2.598	0.259	2.357
2	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	तारा (वेस्ट)												
3	जेएसपीएल	गारा पालमा IV/1	6	0	1	आइरन एण्ड स्टील	5.968	5.994	5.998	5.999	5.999	5.998	0.456	4.455
4	सीईएससी	सरस्वती	3.5	0	1	विद्युत	2.546	2.754	2.978	3.214	2.929	3.745	0.171	2.412
5	एचआईएल	तलबिरा –I	1.5	0	1	विद्युत	1.159	1.47	2.066	2.33	2.285	2.357	0.178	1.696
6	बीएलए	गोटीडुरिया (ई व डब्ल्यू)	0.33	0	2	प्रा. कमर्शिअल	0.218	0.329	0.236	0.299	0.297	0.299	0.016	0.268
7	एमआईएल	गारा पालमा IV/5	1.1	0	1	आइरन एण्ड स्टील	0.668	0.835	0.989	1	0.951	0.851	0.068	0.557
8	पीएसईबी	पंचवारा सेंट्रल	7	1	0	विद्युत	1.603	3.797	6.175	8.476	8.41	8.301	0.42	5.429
9	जेएनएल	गारा पालमा IV/4	0.48	0	1	आइरन एण्ड स्टील	0.059	0.279	0.396	0.56	0.406	0.48	0.049	0.374
10	पीआईएल	छोटिया	1	0	1	आइरन एण्ड स्टील	0.625	0.9	0.919	1	1	1	0.082	0.751
11	एएनपीएमडीएल	नामचिक नामफुक	0.2	1	0	सरकारी कमर्शिअल		0.079	0.137	0.25	0.299	0.222	0	0.069
12	जेपीएल	गारा पालमा IV 2 &3	6.25	0	2	विद्युत		0.578	4.893	6.045	5.688	5.25	0.412	4.005
13	एसआईएल	Belgaon	0.27	0	1	आइरन एण्ड स्टील		0.001	0.051	0.14	0.114	0.16	0.023	0.187
14	केपीसीएल	बरंज I-IV किलोनी तथा	2.5	6	0	विद्युत			0.991	2.252	2.275	2.189	0.247	1.749
15	यूएमएल	Kathautia	0.8	0	1	आइरन एण्ड स्टील			0.013	0.062	0.304	0.351	0.041	0.399
16	ईएससीएल	Parbatpur	1.24	0	1	आइरन एण्ड स्टील			0.013	0.055	0.034	0.106	0.011	0.022
17	आरएपीएल	गारा पालमा IV/7	1.2	0	1	आइरन एण्ड स्टील			0.008	0.297	0.432	0.774	0.082	0.714
18	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	बरजोरा	0.5	1	0	विद्युत			0	0.115	0.252	0.213	0.041	0.195
19	एसएआईएल	तसरा	4	1	0	आइरन एण्ड स्टील				0.063	0.014	0.04	0.012	0.08
20	डीवीसी	बरजोरा (नार्थ)	3	1	0	विद्युत					0.021	1.165	0.153	1.313
21	बी.एस. इस्पात	मारकी मंगली-I	0.33		1	आइरन एण्ड स्टील					0.014	0.003	0.012	0.046
22	श्री विरांगना स्टील लि.	मारकी मंगली-III	0.21		1	आइरन एण्ड स्टील						0.065	0.027	0.259
23	डब्ल्यूबीएम टीडीसीएल	ट्रांस दामोदर	1	1		कमर्शिअल							0.027	0.204
24	सासन पॉवर लि.	मोहेर एण्ड मोहर अमलोहरी विस्तार	20		2	यूएमपीपी							0.014	0.113
25	सोवा इस्पात लि. एण्ड जय बालाजी इंडस.	अरधाग्राम	0.4		1	आइरन एण्ड स्टील							0.005	0.006
		कुल	**64.81**	**14**	**19**	कुल	**17.611**	**21.245**	**29.997**	**35.46**	**34.6**	**36.167**	**2.806**	**27.66**

4.4.5 अंतर – मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा कोयला ब्लॉकों के आबंटन की समीक्षा।

4.5.1 आबंटित केप्टिव कोयला ब्लॉकों और इससे संबद्ध अंत्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंगः

वर्ष 2012–13 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) सरकार द्वारा आबंटित कोयला/ लिग्नाइट ब्लॉकों के विकास की आवधिक समीक्षा करने के लिए 21.06.2012 को गठित किया गया है। आईएमजी के विचारार्थ विषय निम्नवत् हैः

i) आईएमजी आबंटित कोयला खानों/ ब्लॉकों की प्रगति की आवधिक समीक्षा करेगा तथा आबंटन रद्द करने सहित की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

ii) जहां कारण बताओ नोटिस दिये गए हैं, वहां आईएमजी उत्तरों पर विचार करेगा तथा जहां आवश्यक हो, आबंटन रद्द करने सहित आबंटिती कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

iii) आईएमजी स्वयं ही मूल्यांकन कर सकता है और आवश्यक होने पर बैंक गारंटी की कटौती के संबंध में कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।

iv) कोई अन्य मामला, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संदर्भित किया गया हो।

4.5.2 आईएमजी ने उन 58 मामलों की समीक्षा की, जिनमें 11 और 12 जनवरी, 2012 को हुई अपनी बैठक में समीक्षा समिति द्वारा की गई समीक्षा/ सिफारिशों के परिणामस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किये गए थे। इसके अलावा, जिन मामलों में पूर्ववर्ती समीक्षाओं के आधार बीजी कटौती करने का निर्णय लिया गया था, वे मामले लंबित पड़े थे, उन पर भी कार्रवाई शुरू की गई।

4.5.3 अब तक आईएमजी की 17 बैठक हुई हैं। आईएमजी ने अपने कार्य के संचालन के लिए तथा बीजी की कटौती की गणना के संबंध में दिशा–निर्देशों/ पद्धतियों पर चर्चा करके उनको अंतिम रूप दिया है। अपनी सिफारिशें करने से पहले आईएमजी ने भी कोयला ब्लॉकों की सभी आबंटिती कंपनियों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का निर्णय लिया है। निजी कंपनियों को किये आबंटनों के संबंध में आईएमजी ने 29 कंपनियों को आबंटित 13 कोयला ब्लॉकों के आबंटन को रद्द करने, 19 कंपनियों को आबंटित 14 ब्लॉकों के मामले में बैंक गारंटी की कटौती करने और 1 कोयला ब्लॉक के मामले में बीजी लगाने की सिफारिश की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आईएमजी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशें के कारण एक मामले को छोड़कर आदेश जारी कर दिये गए हैं। इसके अलावा, आईएमजी ने पीएसयू के मामलों पर कार्रवाई शुरू की और आबंटितियों को सुनने के बाद आईएमजी ने 11 ब्लॉकों के आबंटन रद्द करने, 5 मामलों में बीजी की कटौती, 11 मामलों में बीजी लागू करने की सिफारिश की तथा न्यायालय के आदेशों के कारण 3 मामलों सहित 6 मामलों में कोई कार्रवाई न करने की सिफारिश की।

4.6 प्रौद्योगिकीय पहल

अपेक्षाकृत अधिक कोयला उत्पादन, उत्पादकता और उन्नत सुरक्षा के लिए भूमिगत और

ओपनकास्ट, दोनों प्रचानलों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाकर प्रौद्योगिकी विकास पर बल दिया जाता है। ओपनकास्ट खानों के लिए समान सहायक उपकरणों और कोयला हैंडलिंग सुविधाओं के साथ–साथ उच्च क्षमता वाले शॉवलों और डंपरों, सतही खनिकों की तैनाती सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न कोयला कंपनियों में की जा रही है।

शॉवल डंपर कंबिनेशन के साथ ड्रैगलाइन्स की तैनाती बहु सीम निकासी और उच्च स्ट्रिपिंग अनुपात वाली प्रमुख परियोजनाओं में काफी समय से जांची हुई पद्धति है। कोयला और अत्यधिक भार के लिए क्रशर कनवेयर प्रौद्योगिकी इन कंपनियों में कुछ ओपनकास्ट खानों में पिछले कुछ समय से उपयोग में भी है।

हाल में, उन्नत उत्पादकता के लिए कोयला में चयनित खनन, आकार बनाने और चक्रीय ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग क्रियाकलापों से बचने के लिए सतही खनिकों की तैनाती को महत्व दिया जा रहा है। सतही खनिकों का उपयोग करते हुए आउटसोर्स किए गए क्रियाकलापों के अलावा, पीएसयू कोयला कंपनियां भी विभागीय क्रियाकलापों के लिए उसे खरीद रही हैं। ओपनकास्ट खानों में बेंचों की ढलान स्थिरता की

भूमिगत खान में हाईड्रोलिक साइड डिस्चार्ज लोडर को प्रचालित किया जा रहा है।

रडार आधारित मानीटरिंग को उन्नत सुरक्षा क्रियाकलापों के लिए अपनाया जा रहा है। जीपीएस आधारित ट्रक डिस्पैच मानीटरिंग प्रणालियों का भी डंपरों के उत्पादन उपयोग में सुधार लाने के लिए अपनाया जा रहा है।

ओपनकास्ट खानों में नियंत्रित विस्फोटन की प्रथा जमीन कंपन को कम करने के लिए अपनायी जा रही है। सिलॉस के साथ कोयला हैंडलिंग संयंत्रों और त्वरित लोडिंग प्रणालियों को सभी प्रमुख ओपनकास्ट खानों में विकसित किया जा रहा है।

इसी प्रकार, सतत खनिकों और लोंगवाल उपकरणों जैसे वृहत उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए नई भूमिगत खानों की योजना बनाना जारी है। तेजी से गेट रोड डाइवेज के लिए लोंगवाल क्रियाकलापों के साथ–साथ बोल्टर खनिकों की तैनाती को भी खदानों के यांत्रिकीकरण में महत्व दिया जा रहा है। अपेक्षाकृत बडे ब्लाकों और अपेक्षाकृत लंबे मुहाने वाले लोंगवाल खानों की योजना बनाना गेट रोड को तेजी से तैयार करने के कारण संभव हो रहा है।

जहां भी इसे तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया जाता है भूमिगत क्रियाकलापों को यांत्रिकीकृत करने के लिए सतत खनिकों,साइड डिस्चार्ज लोडरों और लोड हॉल डंपरों और कनवेयरों को अपनाने की कार्रवाई की जा रही है। मैन राइडिंग प्रणालियों को खानों तक पहुंचने के लिए मैनुअल वाकिंग से बचने के लिए अनेक भूमिगत खानों में संस्थापित किया जा रहा है।

हाल में, सीआईएल और एससीसीएल ने ओपन कास्ट खानों की उंची दीवारों से कोयला निकालने जो अन्य प्रकार से निष्क्रिय रहता, के लिए उच्च दीवार खनन प्रौद्योगिकी अपनायी है। यह प्रौद्योगिकी ओपनकास्ट बेंचों से उच्च दीवार खनन मशीनों का उपयोग करते हुए कोयला निकालने की व्यवस्था करता है जब ओपनकास्ट क्रियाकलापों से कोयले को किफायती रूप से निकालना संभव नहीं है। इस प्रौद्योगिकी का यूएसए में व्यापक उपयोग होता है।

उच्च क्षमता कनवेयर प्रणालियों और प्रेडर्स वाले बकिट व्हील एक्सकेवेटरों वाले विशेषीकृत खनन उपकरण लिग्नाइट खानों के लिए अत्यधिक भार और लिग्नाइट, दोनों निकालने के लिए तैनात किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, सीआईएल ने अपनी खानों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्श–कार्य संगठनों से आवेदन मांगते हुए अभिरूचि की एक अभिव्यक्ति जारी की है ताकि सीआईएल अपना कोयला उत्पादन शीघ्रतम ढंग से बढ़ाने और उत्पादकता एवं सुरक्षा को बेहतर करने के लिए यथा सम्भव सीमा तक अपना सके।

4.7 स्वच्छ कोयला तथा वाशरी की क्षमता

4.7.1 अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण की दृष्टि से कोयले की धुलाई महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्व में किए गए कई अध्ययनों ने विद्युत उत्पादन की आर्थिकियों में सुधार के लिए तथा उत्सर्जनों की कमी हेतु धुले हुए कोयले की उपयोग के लाभों को स्पष्ट रूप से उजागार किया है। पर्यावरण तथा कोयला मंत्रालय का निदेश पिट हैड से 1000 किलोमीटर तथा उससे अधिक दूरी पर स्थित विद्युत स्टेशनों में 34 प्रतिशत से अधिक राख की मात्रा वाले कोयले के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस दूरी को और कम

करके 500 कि.मी. तक करने पर विचार कर रहा है। संचालक के रूप में कई विद्युत उपयोगिताओं ने विद्युत उत्पादन के लिए धुले हुए कोयले के उपयोग हेतु अभिरूचि जाहिर की है कोयले के ज्वलनशील होने से पहले धुला हुआ कोयला भी कोयले की स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में से एक है।

तापीय कोयला के लिए वाशरी की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 103 मि.ट. प्रतिवर्ष है और आगामी 5 वर्षों की अवधि में लगभग 263 मि.ट. प्रति वर्ष तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

4.7.2 धुले हुए कोयले की आपूर्ति के महत्व को समझते हुए कोयला मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों की भूमि पर कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए सितम्बर, 2005 में दिशा–निर्देश जारी किये थे। तदनुसार, सीआईएल की सहायक कोयला कंपनियां प्राइवेट ऑपरेटरों को अपनी भूमि पर कोयला वाशरियों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

4.7.3 सीआईएल ने सिद्धान्त रूप में बिल्ड–आपरेट–मेन्टेन (बीओएम) संकल्पना पर अत्याधुनिक, प्रौद्योगिकी के साथ वाशरियों की स्थापना करके नान पिट हैड विद्युत स्टेशनों को सभी घटिया ग्रेड के कोयले की धुलाई का भी निर्णय लिया है जहां सीआईएल बीओएम प्रचालक के लिए पूंजी की वित्त–व्यवस्था करेगी और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी देगी। उच्च राख वाले कोयले का उत्पादन करने वाली सभी नई खानों, (2.5 मि.ट. प्रतिवर्ष तथा उससे अधिक क्षमता वाली) जो पिटहैड विद्युत स्टेशनों से संबद्ध नहीं है, को एकीकृत वाशरी के साथ डिजाइन किया जाएगा।

4.7.4 सीआईएल ने नई वाशरियों की स्थापना का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है तथा 111.1 मि.ट. प्रतिवर्ष (गैर–कोकिंग कोयला में 92 मि.ट. प्रतिवर्ष तथा कोकिंग कोयला क्षेत्र में 19.1 मि.टन. प्रति वर्ष) की कुल स्थापित क्षमता के साथ अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों में 20 वाशरियां स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

उपर्युक्त 20 नई वाशरियों में से 2 वाशरियां एक धोरी में कोकिंग कोल की तथा दूसरी पीपरवार में नान कोकिंग कोल की "टर्न–की" क्रियान्वयन के अधीन प्रस्तावित हैं तथा शेष 18 बीओएम अवधारणा पर आधारित हैं।

10 वाशरियों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। वाशरियों के लिए करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तथा 2(दो) और वाशरियों के लिए करार शीघ्र सम्पन्न हो जाने की आशा है शेष 6 वाशरियां बोली प्रक्रिया प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

4.7.5 ड्राई कोयला परिष्करण को प्रोन्नत करने के लिए 2 आर एण्ड डी परियोजनाएं सीआईएल आर एंड डी अनुदान के साथ कार्यान्वयनाधीन है, नामतः

- मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल में रेडियोमेट्रिक ड्राइ डिशेलिंग संयंत्र (आर्डीसोर्ट)
- भरतपुर, एमसीएल में ऑल–एयर–जिग ड्राई डिशेलिंग प्रणाली।

4.7.6 उपर्युक्त के अलावा, सीआईएल ने 128.8 मि.ट. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाली 17 (सत्तरह) वाशरियों की स्थापना द्वितीय चरण में करने का निर्णय लिया है।

4.7.7 वाशरियों की स्थापना की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सीआईएल बिल्ड–ऑन–आप्रेट

(बीओओ) संकल्पना के आधार पर वाशरियों की स्थापना की संभावना का पता लगा रही है और मॉडल बोली दस्तावेज (आरएफक्यू तथा आरएफपी) तैयार किया जा रहा है।

4.8 कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

4.8.1 कोलबेड मीथेन (सीबीएम) तथा कोल माइन मीथेन (सीएमएम), भूमिगत कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण जैसे स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के नए क्षेत्र ध्यान में हैं तथा सरकार मौजूदा विधायी रूपरेखा के भीतर इन क्षेत्रों के विकास हेतु सभी आवश्यक उपायों को कर रही है।

4.8.2 सीबीएम संभावित ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जिसका उत्पादन कोलीफिकेसन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और अपनी बनावट के दौरान अनिवार्य रूप से कोयले से संबद्ध है। सीबीएम कोलया सतह पर अधिशोषित स्थिति में है तथा खनन प्रचालन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से एक संभावित खतरा है। यदि अलग से निष्कर्षण किया जाता है तो यह ऊर्जा का एक अनुपूरक स्रोत होता है। देश में प्रचूर मात्रा में कोयला संसाधन को देखते हुए सीबीएम के वाणिज्यिक विकास हेतु पर्याप्त गुंजाइश है। वर्जिन कोलबेड से जुड़े मीथेन को परम्परागत रूप से कोलबेड मीथेन के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार कार्यशील खान से मीथेन के निष्कर्षण को कोल माइन मीथेन (सीएमएम) के रूप में जाना जाता है।

4.8.3 भारत सरकार ने 1997 में सीबीएम नीति के प्रतिपादन के फलस्वरूप चार दौर की वैश्विक बोलियों में अब तक सीबीएम के अन्वेषण एवं दोहन के लिए विभिन्न प्रचालकों को 33 सीबीएम ब्लाक आवंटित किए हैं। कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सीबीएम की व्यवस्था की जाती है। सीएमएम से संबद्ध कार्यकलापों को अलग से कोयला मंत्रालय द्वारा निपटाया जा रहा है। वैश्विक बोली के 5वें दौर में अपने आवंटन के लिए सीएमपीडीआई संभावित सीबीएम ब्लाकों पर डाटा डोजियर तैयार कर रही है। सीएमएम संबंधी कार्यकलापों का समाधान कोयला मंत्रालय द्वारा अलग से किया जा रहा है।

4.8.4 12वीं योजना में सीबीएम/ शेल गैस विशिष्ट डाटा सृजन

4.8.4.1 सीबीएम विशिष्ट डाटा सृजन

सीएमपीडीआई 13.46 करोड़ रू. की राशि (पीआरई) वित्त–व्यवस्था के अधीन प्रोन्नत अन्वेषण (12वीं योजना अवधि) के अंतर्गत ड्रिल किए जा रहे बोरहोलों के माध्यम से "भारतीय कोलफील्डों/ लिग्नाइट फील्डों के स्वस्थाने कोलबेड मीथेन गैस–इन–प्लेस संसाधन के मूल्यांकन" के संबंध में अध्ययन कर रही है। यह अध्ययन देश के सीबीएम संसाधन आधार को और अधिक बढ़ाएगा तथा सीबीएम विकास हेतु अधिक ब्लाकों की रूपरेखा को सुसाध्य बनाएगा।

कुल 60 बोरहोल्स (40 सीएमपीडीआई द्वारा तथा 20 जीएसआई द्वारा) 12वीं योजना अवधि के रौरान अप्रैल, 2012 सीबीएम संबंधित अध्ययनों के लिए शुरू किया जाने हैं। अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक की इस योजना अवधि के दौरान कुल 5 बोरहोल्स (4 सीएमपीडीआई द्वारा और जीएसआई द्वारा) की जांच सीबीएम संबंधित अध्ययनों के लिए की गई है।

जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक की अवधि के

दौरान(7 साल) अधिक बोर होल्स (4 सीपीएमआई द्वारा और 3 जीएसआई द्वारा) सीबीएम अध्ययनों के लिए शुरू किये जाऐंगे।

4.8.4.2 शेल गैस का विशिष्ट डाटा सृजन

सीएमपीडीआई 7.75 करोड़ रूपये की राशि के वित्तपोषण के साथ प्रौन्नत अन्वेषण (पीआरई) के अंतर्गत प्रौन्नत अन्वेषण (12वीं योजना अवधि के तहत ड्रिल किये जा रहे बोरहोलों के माध्यम से भारतीय कोयला/ लिग्नाइट क्षेत्रों के शेल गैस के विद्यमान संसाधनों के मूल्यांकन से संबंधित अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन में देश के शेल गैस संसाधन आधार को अभिज्ञात करके उसे बढ़ा किया जाएगा तथा शेल गैस के विकास के लिए अधिक ब्लॉकों के चिन्हनांकन को सुकर बनाया जाएगा।

अप्रैल, 2012 से 12वीं योजना अवधि के दौरान शेल गैस संबंधी अध्ययनों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा कुल 20 बोरहोलों का प्रयोग किया जाना है। इस योजना अवधि के दौरान अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक शेल गैस संबंधी अध्ययनों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा प्रारम्भिक डाटा एकत्र किया गया है।

जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक सीएमपीडीआई द्वारा शेल गैस संबंधी अध्ययनों के लिए 4(चार) बोरहोल शुरू किये जाऐंगे।

4.8.5 सीएमएम से संबद्ध सीआईएल की अनुसंधान तथा विकास परियोजना

सीएमपीडीआई ने सीआईएल के बीसीसीएल तथा सीसीएल क्षेत्रों में भावी सीबीएम ब्लाकों की रूपरेखा हेतु सीआईएल के अनुसंधान तथा विकास परियोजना तथा 1 अथवा 2 अधिक भावी एवं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य सीएमएम ब्लाकों का डाटा डोजियर तैयार करना शुरू कर दिया है।

बीसीसीएल और सीसीएल क्षेत्रों के खनन लीजहोल्ड क्षेत्रों में 5 संदर्श सीएमएम ब्लॉको को अभिज्ञात किया गया है और अप्रैल 2012 में उपयुक्त विकासकर्ता का चयन करने के लिए सीआईएल की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा सीआईएल खनन लीजहोल्ड क्षेत्रों के भीतर सीएमएम के वाणिज्यिक विकास के कुछ मुद्दे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उठाए गए हैं तथा सीएमपीडीआई द्वारा आमंत्रित की गई निविदा को रद्द कर दिया गया।

मुद्दे का समाधान करने के लिए इस मामले पर कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राललय के सक्षम स्तर पर चर्चा् की गई एवं सलाहकार कोयला मंत्रालय और सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच 17 अगस्त, 2012 को हुई बैठक इस मामले को सुलझाया गया है। सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर सीएमपीडीआई/ सीआईएल अभिज्ञात ब्लाकों के वाणिज्यिक विकास पर आगे चर्चा करेंगे।

4.8.6 बड़ी ओपनकास्ट खानों के आगे निकले हुए क्षेत्रों में सीबीएम विशिष्ट आंकडें का सृजन

एनसीएल के मोहर सब बेसिन, सिंगरौली कोलफील्ड और कोरबा कोलफील्ड में बड़ी ओपनकास्ट खानों से संबंधित सीएमएम की संभाव्यता का आकलन करने के लिए परियोजना प्रस्तावों को सीएमपीडीआई द्वारा पूरा कर लिया गया है और आकलन रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा संबंधित कोयला कंपनियों को प्रस्तुत कर दी गई है। सीआईएल खनन लीज होल्ड क्षेत्रों से

सीएमएम को उपयोग में लाने पर सक्षम निर्णय प्राप्त करने के बाद सीआईएल/ सीएमपीडीआई द्वारा आगे वाणिज्ियीकरण की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

4.8.7 सीबीएम से संबद्ध सीआईएल – ओएनजीसी की सहयोगात्मक परियोजना

4.8.7.1झरिया सीबीएम ब्लाक

भारत सरकार की सीबीएम नीति के अनुसार सीआईएल तथा ओएनजीसी के संकाय को नामांकन आधार पर 2 ब्लॉक रानीगंज तथा झरिया कोलफील्डों में एक–एक ब्लाक आबंटित किया गया है और कोलबेड मीथेन के विकास हेतु भारत सरकार के साथ समझौता संपन्न कर लिया गया है। झारखंड सरकार ने अगस्त, 2003 में झरिया सीबीएम ब्लाक हेतु पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) मंजूर कर दिया था। ब्लाक में सीएमपीडीआई द्वारा स्लिमहोल ड्रिलिंग दिसम्बर, 2004 से शुरू हो गया और 8703.65 मीटर वाले सभी 8 स्लिमहोलों को पूरा कर लिया गया है। स्लिमहोल ड्रिलिंग के दौरान सृजित डाटा के मूल्यांकन तथा संकलन से संबद्ध एक रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा फरवरी, 08 में प्रस्तुत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी ने सीबीएम ब्लॉक में 2 अन्वेषणात्मक कुओं, छ ऊर्ध्वाधर पायलट कुओं तथा 2 क्षैतिज बहुपक्षीय इन–सीम कुओं की ड्रिलिंग पूरी कर ली है और अपेक्षित परीक्षण किए जा रहे हैं। झरिया सीबीएम ब्लॉक से उत्पादित गैस की बिक्री सरकार के अनुसार चल रही है।

ओएनजीसी ने झरिया सीबीएम ब्लाक के (पर्वतपुर क्षेत्र) हेतु अतिंम विकास योजना अक्टूबर, 09 में हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है। डीजीएच ने ओएनजीसी को समग्र झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए संशोधित विकास योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

तदनुसार, ओएनजीसी ने समस्त झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए विकास योजना डीजीएच को 24 अगस्त, 2012 को प्रस्तुत कर दी है, जिसका बजटीय परिव्यय 1137 करोड़ रूपये है। सीआईएल–ओएनजीसी का संकाय डीजीएच द्वारा विकास योजना के अनुमोदन के पश्चात विकास, क्रियाकलाप शुरू करेगा।

सीआईएल और ओएनजीसी के बीच चल रहे करार के प्रावधानों के अनुसार सीआईएल विकास के प्रथम चरण से अपनी सहभागिता के हित को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, ओएनजीसी ने सीआईएल (मुख्यालय) में 18 अक्तूबर, 2012 को हुई बैठक में सीआईएल को यह संकेत दिया है कि वे प्रौद्योगिकी सहभागी के रूप में खेती–करने के लिए झरिया सीबीएम ब्लॉक में अपने स्टेक को 35 प्रतिशत कम करेंगे।

4.8.7.2रानीगंज सीबीएम ब्लाक

प.बंगाल सरकार ने रानीगंज सीबीएम ब्लाक हेतु पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस (पीईएल) जून, 2004 में मंजूर कर दिया है। पहचान किए गए बोरहोलों की स्लिमहोल ड्रिलिंग 07.03.2006 को शुरू की गई तथा 7853.50 मीटर वाले सभी 8 स्लिमहोलों में ड्रिलिंग सीएमपीडीआई ने पूर्ण कर दी है। स्लिमहोल ड्रिलिंग के दौरान सृजित डाटा की मूल्याकंन और संकलन संबंधी रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा मार्च, 09 में प्रस्तुत कर दी गई है।

ओएनजीसी ने सीबीएम ब्लॉक में एक अन्वेषणात्मक कुएं तथा दो पायलट कुओं की ड्रिलिंग कर ली है और अपेक्षित परीक्षण चल रहे

हैं। ओएनजीसी ने रानीगंज ब्लॉक के लिए 957 करोड़ रूपये बजटीय परिव्यय की विकास योजना तैयार की है जिसे 8 अक्तूबर, 2012 को डीजीएच को भेज दिया गया है। सीआईएल ओएनजीसी का संकाय डीजीएच द्वारा विकास योजना के अनुमोदन के बाद विकासात्मक कार्यकलाप शुरू करेगा।

4.8.8 सीबीएम/ सीएमएम क्लीयरिंग हाउस की स्थापना

17 नवम्बर, 08 को कोयला मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य पर्यावरणीय संरक्षण अभिकरण (यूएसईपीए) के तत्वावधान में सीएमपीडीआई, रांची में एक सीबीएम/सीएमएम वितरण–गृह की स्थापना की गई है। यह वितरण केन्द्र देश के सीएमएम/सीबीएम से संबंधित डाटा के संग्रहण तथा शेयरिंग हेतु एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है तथा सार्वजनिक/निजी भागीदारी, प्रौद्योगिकीय सहयोग एवं वित्तीय निवेश अवसरों को लाकर भारत में सीएमएम परियोजनओं के वाणिज्यिक विकास में सहायता करेगा।

क्लीयरिंग हाउस के निर्माण कार्यक्रम में की गई परिकल्पना के अनुसार क्लीयरिंग हाउस की वेबसाइट का नियमित आधार पर रखरखाव किया जा रहा है और अद्यतनकृत किया जा रहा है। सीएमएम/वीएएम के विकास के लिए यूएसईपीए के साथ गहन समन्वय किया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ सीआईएल/सीएमपीडीआई अधिकारियों के एक दल ने इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए जून, 2010 और अक्तूबर, 2011 के दौरान यूएस में प्रचालनात्मक सीएमएम स्थलों का दौरा किया।

क्लीयरिंग हाउस के यूएसईपीए अनुदान के लिए 3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली गई है। क्लीयरिंग हाउस की अवधि बढ़ाने का मामला यूएसईपीए के अधिकारियों के साथ उठाया गया था। कोयला मंत्रालय ने अवधि को और 3 वर्षों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को 31 अगस्त, 2012 को अनुमोदित कर दिया है तथा यूएसईपीए ने भी क्लीयरिंग हाउस की अवधि को आगे 3 वर्ष तक बढ़ाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

4.8.9 "कोयला खानों तथा गैर–खनन योग्य कोल बेडों से ग्रीन हाउस गैस रिकवरी तथा ऊर्जा का संरक्षण नामक ईयू वित्तपोषित अनुसंधान परियोजना (जीएचजी2ई)

यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमीशन की स्कीम के आंशिक वित्तपोषण के अंतर्गत उपर्युक्त बहु–संगठन बहु–देशीय परियोजना अनुमोदित की गई है। अन्य 11 संगठनों में भारत के भाग लेने वाले संगठन सीएमपीडीआई और आईआईटी खड़गपुर हैं। सीएमपीडीआई के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धनराशि सीआईएल और आरएण्डडी स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई है।

परियोजना समयानुसार कार्यान्वित की जा रही है और सीएमपीडीआई ने उक्त कार्य अक्तूबर, 2012 तथा जनवरी, 2013 में प्रस्तुत कर दिया है।

4.9 भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी)

भारत में ओएनजीसी तथा सीआईएल द्वारा तत्कालीन यूएसएसआर के साथ तकनीकी सहयोग के अधीन भूमिगत कोयला गैसीकरण 1980 के दशक के मध्य में शुरू किया गया था। यद्यपि राजस्थान में एक लिग्नाइट ब्लाक मेरता रोड को उपयुक्त पाया गया था, दूषित भू–जल की आशंका के कारण पायलट मूल्यांकन शुरू नहीं किया जा सका।

बाद में यूजीसी के लिए एक पायलेट स्केल अध्ययनों को शुरू करने हेतु सीआईएल और ओएनजीसी के बीच नवंम्बर, 05 में एक समझौता ज्ञापन संपन्न होने के परिणामस्वरूप सीएमपीडीआई ने 5 भावी यूसीजी स्थलों हेतु डाटा पैकेज तैयार किया। पांच स्थलों में से ओएनजीसी द्वारा रखे गए परामर्शदाता द्वारा रानीगंज कोलफील्ड में एक कास्ता ब्लाक को चुना गया। आवश्यकता के अनुसार, पायलट स्केल यूसीजी परियोजना शुरू करने की संभावना की जांच करने हेतु कास्ता ब्लाक में अतिरिक्त डाटा के सृजन के लिए स्लिमहोल ड्रिलिंग पूरी की गई है और एक आकलन रिपोर्ट तैयार की गई है और ओएनजीसी को उनकी जांच के लिए प्रस्तुत की गई है।

दो कोयला ब्लाको नामतः रामगढ़ कोलफील्ड में कैथा (सीसीएल कमान क्षेत्र के भीतर पेंचवैली कोलफील्ड में थेसगोरा–सी,(डब्ल्यूसीएल कमान क्षेत्र के भीतर) में यूसीजी के वाणिज्यिक विकस के लिए अभिज्ञात किये गए थे। इन ब्लाकों में यूसीजी के वाणिज्यिक विकास के लिए उपयुक्त सेवा प्रदाता का चयन करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। दोनों निविदाओं के लिए अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। सक्षम स्तर पर तकनीकी कारणों से निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और पुनः निविदा आमंत्रित करने की सलाह दी गई है। निविदा दस्तावेज में संशोधन किया गया है और सक्षम स्तर अनुमोदनाधीन है जिसके बाद निविदा जारी करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

4.10 शेल गैस ब्लॉक का चिन्हाकन

4.10.1 सीएमपीडीआई डीजीएच के लिए एक गोंदवान बेसिन में 06(छः) संभावित शेल गैस ब्लॉकों के संबंध में डाटा डोजियर तैयार कर रही है। रानीगंज, झरिया, बोकारो, दक्षिणी करनपुरा, उत्तरी करनपुरा और सोहागपुर बेसिनों में प्रारूप डाटा डोजियर प्रस्तुत कर दिये गए हैं। डीजीएच अधिकारियों के साथ इन रिपोर्टों पर अगस्त, 2012 और अक्तूबर, 2012 में चर्चा की गई थी। रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अंतिम विचार–विमर्श के पश्चात इन्हें मार्च, 2013 तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

4.10.2 "सीआईएल क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में गोंदवाना बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन" नामक सीआईएल आरएण्डडी परियोजना

सीआईएल क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में गोंदवाना बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन" नामक एक परियोजना 400 लाख के लिए सीआईएल आरएण्डडी द्वारा अनुमोदित की गई है। सीएमपीडीआई द्वारा परियोजना 2 1/2 वर्षों की अनुमोदित अवधि के साथ अप्रैल, 2011 से कार्यान्वित की जा रही है जहां अग्रिम संसाधन अंतर्राष्ट्रीय, यूएसए उप कार्यान्वयन एजेन्सी है।

उपकरण की अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रगति पर है। सीएमपीडीआई के 3 अधिकारियों ने जून, 2012 इस परियोजना के अंतर्गत यूएसए में विभिन्न शेल गैस स्थलों/ लैब का दौरान किया और बीसीसीएल तथा सीसीएल में अपेक्षित आंकड़ों के सृजन तथा क्षेत्रों की पहचान के लिए कार्रवाई की गई है। इन अभिज्ञात ब्लॉकों से शेल के नमूने एकत्रित किये गए हैं और प्राचलिक आंकड़ा मूल्यांकन (टीओसी आदि) सृजन का सेट प्रगति पर है। शेल गैस संभाव्यता के मूल्यांकन के लिए प्राचलिक आंकड़ा सृजन का एक उपकरण खरीदा गया है और सीबीएम लैब सीएमपीडीआई में स्थापित किया गया है।

4.10.3 "भारत के दामोदर घाटी बेसिनों का शेल गैस संभाव्यता मूल्यांकन" नामक एसएण्डटी परियोजना

सरकार द्वारा एक एसएण्डटी परियोजना नवम्बर, 2012 में अनुमोदित की गई है जिसकी कुल लागत 16.9 करोड़ रूपये है। राष्ट्रीय भू–भौतिक अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) हैदराबाद, केन्द्रीय खान आयोजना तथा डिजाइन संस्थान लि0 (सीएमपीडीआई), रांची और केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा इस परियोजना को संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना की अवधि 3 वर्ष है। डाटा/ अध्ययनों के सृजन के लिए क्षेत्रों की पहचान झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में की गई है और शेल के नमूने अपेक्षित डाटा के सृजन के लिए झरिया कोलफील्ड में एकत्रित किये गए हैं।

4.11 सीबीएम लैब सेवाएं

सीएमपीडीआई ने डिजोरपशन स्टडीज गैस कम्पोजीशन आदि जैसे सीबीएम संबंधी अध्ययनों के लिए अत्यधिक आधुनिक प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं स्थापित की हैं, जो एक सीबीएम संसाधन मूल्यांकन तथा एक सीबीएम भंडार की उत्पादन संभाव्यता का पूर्वानुमान लगाने के लिए अनिवार्य साधन है। इसने एडजोरपशन इशेथर्म अवसरंचना जोड़ दी है जो कोयला नमूनों की अधिशोषक क्षमता को 20 एमपीए (लगभग 2000 मी. स्तर की गहराई के तदनुरूप) उचे दबाव तक माप सकती है। हाल में टीओसी (कुल आर्गेनिक कार्बन) विश्लेषक शुरू किया गया है। इस लैब में डिजोर्ब्ड गैस एवं खान वायु नमूनों के गैस संयोजन का विश्लेषण करने के लिए गैस, क्रेमिटोग्राफ भी है।

4.12 कोयला/ लिग्नाइट कोयला रॉयल्टी की दरों में संशोधन

कोयला और लिग्नाइट की रॉयल्टी दरों के संशोधन के लिए गठित अध्ययन समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सभी स्टेकधारियों के साथ चर्चा तथा विचार–विमर्श करने के बाद रॉयल्टी के रूप में निर्धारित और परिवर्तनीय घटक वसूल करने की पूर्व प्रणाली के स्थान पर कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में यथामूल्य व्यवस्था अपनायी थी। तदनुसार, कोयला तथा लिग्नाइट पर रॉयल्टी की दर क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत निर्धारित की गई है। नयी रॉयल्टी दरें 10.05.2012 से लागू की गई हैं।

सीआईएल एससीसीएल तथा एनएलसी द्वारा 2009–10 से 2011–12 तक प्रदत्त रॉयल्टी निम्नवत् हैः

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पश्चिम बंगाल	झारखंड	ओडिशा	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	छतीसगढ़	उत्तर प्रदेश	असम	कुल
2009-10	9.20	1152.41	881.08	1022.77	512.71	939.56	149.09	30.86	4697.68
2010-11	9.66	1273.64	932.44	863.65	499.82	1024.26	167.72	28.33	4799.52
2011-12	9.48	1430.54	1027.77	1012.79	526.30	1100.80	181.94	25.52	5315.14

(करोड़ रुपए में)

एससीसीएल द्वारा प्रदत्त रॉयल्टी		एनएलसी द्वारा प्रदत्त रॉयल्टी	
2009-10	637.13	2009-10	155.66
2010-11	780.00	2010-11	158.42
2011-12	**769.06**	**2011-12**	**177.44**

4.13 रूग्ण पीएसयू का पुनरूद्धार

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल):

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पुनरूद्धार योजना का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा 5.10.2006 को किया गया था। अनुमोदित योजना के अनुसार, कंपनी की निवल पूंजी 2009–10 में धनात्मक होनी तय थी जो सफल नहीं रही। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बिलंब के कारण यह आशंका है कि कंपनी 2012–13 में भी बीआईएफआर से बाहर नहीं निकल पाएगी। बीआईएफआर द्वारा 22.11.2010 को एक समीक्षा सुनवाई आयोजित की गई थी। बीआईएफआर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कंपनी ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पुनरूद्धार के लिए प्रारूप संशोधित/संशोधित प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर इसके आगे विचार/ स्वीकृति के लिए 22 दिसम्बर, 2010 को संपन्न संयुक्त बैठक में चर्चा की गई थी।

ईसीएल से संबंधित डाटा निम्नानुसार है :–

लाभ : 2011–12–962.13 करोड़ रू

(स्रोत : 2011–12 की सीआईएल की वार्षिक लेखा रिपोर्ट)

जनशक्ति : 2011–12–78,009

(स्रोत : 2011–12 की सीआईएल की वार्षिक लेखा रिपोर्ट)

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल):

बीसीसीएल की एक पुनरूद्धार योजना बीआरपीएसई और बीआईएफआर को प्रस्तुत की गई थी। बीआरपीएसई और बीआईएफआर दोनों ने संशोधित योजना को अपना अनुमोदन दे दिया है और स्वीकृति की सूचना देते हुए सरकार के आदेश को 25.2.2010 को सीआईएल/बीसीसीएल को जारी कर दिया गया है। उपरोक्त पैरा से संबंधित डाटा निम्नानुसार है।

लाभ

कर–पूर्व लाभ : 2011–12–822.36 करोड़ रू

(स्रोत : 2011–12 की सीआईएल की वार्षिक लेखा रिपोर्ट)

जनशक्ति : 2011–12–64,844

(स्रोत : 2011–12 की सीआईएल की वार्षिक लेखा रिपोर्ट)

बीपीपीएसई की एक बैठक ईसीएल/बीसीसीएल की पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 30.10.2012 को हुई थी। बीआरपीएसई ने बीआईएफआर स्थिति से बाहर आने को उपायों की सिफारिश की है। ईसीएल और बीआरपीएसई की सिफारिशों पर मंत्रालय में 19.11.2012 को हुई थी तथा सीआईएल से उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

बीपीपीआरएस द्वारा पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है। सभी चल रही परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति सहित वास्तविक तथा वित्तीय

निष्पादन को सम्बंधित कंपनी बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है। बड़ी भावी परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी सीआईएल के परियोजना मॉनीटरिंग प्रभाग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है और जिन परियोजनाओं की क्षमता 3 मि.ट. तथा जिन परियोजनाओं की लागत 500 करोड़ रूपये और इससे अधिक है, उनकी मॉनीटरिंग कोयला मंत्रालय के स्तर पर की जा रही है। बीसीसीएल और ईसीएल के मासिक कार्य–निष्पादन को प्रत्येक माह सीएमडी की समन्वय बैठक में मॉनीटिर किया जा रहा है।